न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेशचंद जैन, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 51/2018

RCMS No. 2018/00328

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत राबडियावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राबडियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली 2. भंवरू पुत्र बींजाराम, जाति माली 3. धन्नाराम पुत्र बींजाराम, जाति माली 4. शंकर पुत्र बींजाराम जाति माली निवासीगण राबडियावास, तहसील जैतारण, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया।

–: निर्णय :–

दिनांकः–17-2-20

यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत राबडियावास की तथाकथित मिसल संख्या 19/1960–61 मे पारित ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.06.1992 जो प्रस्ताव संख्या .... दिनांक ...... एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक ...... को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत किया गया हैं। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत के पत्रांक प.18/38 दिनांक 16.07.2018 के अनुसार और निगरानी पट्टा सम्बधी किसी प्रकार का रेकर्ड नही होने का लिखने तथा अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा बाबत पंचायत द्वारा न तो किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया न मिसल कायम की गई न ही किसी प्रकार का आवेदन ही प्राप्त किया गया है इस प्रकार बिना विधिक कार्यवाही को अमल में लाये ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो पंचायत नियमों की पालना किये बिना जारी करने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

वकील प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त आवासीय जैर निगरानी पट्टा संख्या 09 मिसल संख्या 19/1960–61 तहसील जैतारण के द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने के

जिला कलेक्टर, पाली

आदेश क्रमांक सम/1837–1945 दिनांक 6.12.2017 के अनुसार गोचर भूमि खसरा नम्बर 247 एवं 189 में जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत राबडियावास की नुजुल आबादी भूमि नही है। तथा गोचर भूमि को बिना आवासीय प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से आबादी भूमि घोषित का पंचायत के हक में आदेश कराये पंचायत पट्टा जारी नही कर सकती है। उक्त प्रकरण में ऐसा नही कर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के हक में गोचर भूमि में ही पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डी बी सिविल रिट संख्या 2910/2017 के अनुसार निर्णय में अंकित उक्त खसरा नम्बर 247 व 187 गै0मु0 गोचर से जैर निगरानी विधि विरूद्व जारी पटटे की आराजी से अतिक्रमण हटाने की पालनार्थ तहसीलदार द्वारा दल गठन कर भेजे गये उसके समक्ष यह पट्टे पेश किए गये, जो अवैधानिक रूप से गै0मु0 गोचर में जारी किए हुए पाये जाने से उक्त पट्टे निरस्त करवाकर ही गोचर भुमि से अतिक्रमण हटाने की पालना की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा विधि सम्मत नही होने से निरस्त फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर निगरानी पट्टे बाबत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राबडियावास द्वारा क्रमांक 18/38 दिनांक 16.07.2018 को ही इस आशय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया था कि जैर निगरानी पट्टा संबधी किसी प्रकार का रेकर्ड पंचायत में नही है, बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी नही है, न ही कोई मिसल कायम की गई है। किसी भी व्यक्ति के हक में पट्टा जारी किया जाता है तो इस के लिए नूजूल आबादी भूमि होना एवं उस ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जबकि जैर निगरानी पट्टा प्रकरण मे ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नही लिया गया है। न ही नूजूल आबादी भूमि है इस कारण पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है। जैर निगरानी भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 2910/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 एवं उसकी पालनार्थ तहसीलदार जैतारण द्वारा कमेटी गठन आदेश क्रमाक सम/1832–1845 दिनांक 6.12.2017 के मे भी उक्त आराजी को गौचर भूमि होना मानते हुए अतिक्मण हटाने के आदेश जारी किये है तथा उक्त पट्टे संबधी आराजी पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम के समक्ष वैधानिक बाधा उत्पन्न होने के कारण जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना विधि सम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी मिसल संख्या 19/1960–61 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 09 जो ग्राम पंचायत राबडियावास द्वारा अप्रार्थीगण के हक में जारी उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे को निरस्त किया जाता है निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली